भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *43

(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचार

***43. श्री राजेश रंजनः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी क्षेत्र के समाचार चैनलों सहित सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक समाचारों के प्रसार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे समाचारों का संज्ञान लिया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसी कोई कार्रवाई करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

फर्जी समाचारों के संबंध में दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *43 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत सरकार को मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचना के बढ़ते मामलों की जानकारी है।

ऐसी सामग्री को फैलने से रोकने के लिए कई कानूनी और संस्थागत तंत्र बनाए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

- टीवी चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करते हैं।
- यह अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर मिथ्या या ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करता है, जिसमें विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल हैं।
- इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में, उल्लंघनों का समाधान करने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है।
    - स्तर I-प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन
    - स्तर II-प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा विनियमन
    - स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

    कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन का समाधान एडवाइजरी, चेतावनी, माफी स्क्रॉल, अस्थायी ऑफ-एयर निर्देश आदि के माध्यम से किया जाता है।

प्रिंट मीडिया

- भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा जारी पत्रकारिता के आचरण के मानक फर्जी, अपमानजनक या भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को रोकते हैं।
- पीसीआई इन मानकों के कथित उल्लंघनों की जांच कर सकती है।
- पीसीआई शिकायतों की विधिवत जांच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी देने, फटकार लगाने या निंदा करने जैसे उपाय करती है।

डिजिटल मीडिया:

डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत आचार संहिता तैयार की गई है:

- मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं द्वारा गलत सूचना या ऐसी सूचना साझा करने से रोकना चाहिए जो प्रकृति में स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य या भ्रामक है।
- आचार संहिता का पालन करने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर झूठी या अपमानजनक सामग्री से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए प्लेटफार्मों द्वारा शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- आईटी नियमों के भाग II में, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थों पर ऐसी सूचना के प्रसार को रोकने का दायित्व दिया गया है जो प्रकृति में स्पष्ट रूप से झूठी, असत्य या भ्रामक है।

सरकार आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध करने हेतु उकसाने से रोकने के लिए आदेश जारी करती है।

<u>फैक्ट चैक यूनिट</u>

फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों को रोकने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के तहत स्थापित की गई है।

- यह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है।
- फैक्ट चैक यूनिट फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही सूचना पोस्ट करती है।

  यह ढांचा गलत सूचना से होने वाले नुकसानों का समाधान करते हुए सृजनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

*****